राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः 5486 – 95 दिनांक 21.1.2019

—:: सूचना ::—

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्ष 2009—10 से 2017—18 के अन्तिम लेखों के लिये वैधानिक अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकार फर्मो की नियुक्ति की जानी है। अतः नियुक्ति हेतु इच्छुक सनदी लेखाकार फर्मो से ऑफ लाईन आवेदन दिनांक 04.02.2019 को समय दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। फर्मे अपने आवेदन पंत कृषि भवन के कमरा नं. 13 में प्रस्तुत करेगी।

सनदी लेखाकार फर्मो की नियुक्ति के क्रम में शर्ते निम्न प्रकार हैः—

1. वर्ष 2003—04 से 2008—09 तक बोर्ड के अन्तिम लेखों का वैधानिक अंकेक्षण होना शेष है। इसलिए वर्ष 2009—10 से 2017—18 तक के अन्तिम लेखों के अंकेक्षण हेतु वैधानिक अंकेक्षकों को अंकेक्षित प्रारम्भिक शेष पूर्व वर्षो के लेखों का अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने पर उपलब्ध करवाये जायेगें। अतः सनदी लेखाकार द्वारा अनअंकेक्षित प्रारम्भिक शेषों को आधार मानकर नियुक्त वर्ष का अंकेक्षण करना होगा तथा उस वर्ष का अंकेक्षण होने पर प्रारम्भिक शेषों का सत्यापन करना होगा।
2. सनदी लेखाकार फर्मो का पंजीयन नियमानुसार कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार होना आवश्यक है, जिसके समर्थन में फर्म द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रमाण—पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. सनदी लेखाकार फर्मो को पिछले 5 वर्षो में 3 वर्षो का सरकारी/ अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। वांछित अनुभव न होने की स्थिति में फर्म के प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. फर्म द्वारा साक्ष्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जावेगा तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के सही होने का शपथ—पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
5. बोर्ड द्वारा अंकेक्षण का कार्य अपनी सुविधानुसार एक वर्ष हेतु सनदी लेखाकार नियुक्त कर अथवा 3 से 5 वर्षो हेतु एक ही सनदी लेखाकार फर्म को नियुक्त कर करवाया जा सकेगा। नियुक्ति राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(9)Agri.2-B/90 दिनांक 10.07.1990 के अनुसार कृषि (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर द्वारा की जावेगी।

6. किसी भी सनदी लेखाकार फर्म को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। इस हेतु कोई भी फर्म अपनी नियुक्ति हेतु कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगी।

7. नियुक्त सनदी लेखाकार फर्म को अंकेक्षण कार्य दो माह में पूर्ण करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:—

वर्ष	ईकाईयों की संख्या जिनका अंकेक्षण किया जाना है			कुल अंकेक्षण शुल्क
	मुख्यालय प्रति ईकाई 10,000/—	वृत कार्यालय प्रति ईकाई 1,100/—	खण्ड कार्यालय प्रति ईकाई 2,200/—	
2009—10	1	5	25	70500
2010—11	1	5	25	70500
2011—12	1	5	21	61700
2012—13	1	5	18	55100
2013—14	1	5	18	55100
2014—15	1	5	18	55100
2015—16	1	5	23	66100
2016—17	1	5	23	66100
2017—18	1	6	23	67200

8. अंकेक्षण शुल्क के अलावा यदि कोई फर्म जयपुर मुख्यालय कार्यालय से बाहर जाकर अंकेक्षण करेगी उसे यात्रा भत्ता नियमो के अनुसार फर्म के पार्टनर्स को "ए" श्रेणी के अधिकारियों के समान एवं अंकेक्षण सहायकों को "बी" श्रेणी के अधिकारियों के समान यात्रा भत्ता देय होगा, जबकि मुख्यालय, जयपुर पर अंकेक्षण कार्य करने पर कोई भत्ता देय नहीं होगा। सनदी लेखाकार फर्म जी.एस.टी.एन. होने की स्थिति में नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगी।

9. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को किसी भी सनदी लेखाकार फर्म का प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

10. विवाद की स्थिति में प्रशासनिक विभाग (अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर) द्वारा पारित आदेश निपटारे के लिये अन्तिम रूप से मान्य होगा।

(प्रीति शर्मा)
वित्तीय सलाहकार